भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 525
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में मनरेगा

525. श्रीमती बाग मिताली:
श्री यूसुफ पठान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को देय धनराशि का ब्यौरा क्या है और कुल राशि (रुपये में) कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य को सभी लंबित देय राशियों का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का बंगाल में 59 लाख मनरेगा कामगारों को अपनी गलतियों के लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा देने का विचार है , और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए , पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत निधियां जारी करना 09.03.2022 से रोक दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।

तथापि, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18.06.2025 के आदेश का अनुपालन करते हुए, इस विभाग ने 06.12.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना को फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जो विशेष शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करने के अध्यधीन है, ताकि राज्य में इस योजना को प्रभावी और कानूनी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। तदानुसार राज्य सरकार से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए श्रम बजट प्रस्ताव महात्मा गांधी नरेगा योजना की अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, जो अभी प्रतीक्षित है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में कुल लंबित देनदारी (08.03.2022 की स्थिति के अनुसार) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें ₹1457.22 करोड़ मजदूरी घटक के , ₹1607.68 करोड़ सामग्री घटक के और ₹17.62 करोड़ प्रशासनिक घटक के शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है ।